ए.

के. राम्या

बनाम

राष्ट्रीय बीमा कंपनी। लिमिटेड. और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 7046)

बी.

30 सितंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:धारा 168-मोटर दुर्घटना-क्षतिपूर्ति की मात्रा-आय की हानि-अनुमानित आय-आयकर विवरणी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विश्वसनीयता-मोटर दुर्घटना में एक व्यवसायी की मृत्यु-आयकर विवरणी और अन्य वित्तीय दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मृतक के आश्रितों-अपीलार्थियों को मुआवजा देना-बीमा कंपनी की अपील में, मुआवजे को इस आधार पर कम किया गया कि न्यायाधिकरण ने 'आय की हानि' की गणना करने में गलती की-उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक की आय में पूंजीगत परिसंपत्तियों पर विवरणी शामिल है, जो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की गई थी, जो उनसे प्राप्त लाभों का आनंद लेते रहे; पूंजीगत संपत्तियों से प्राप्त आय को मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित आय नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके द्वारा कोई वास्तविक योगदान नहीं था।क्षतिपूर्ति उचित, उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए-मात्रा का निर्धारण उदार होना चाहिए और तुच्छ नहीं होना चाहिए-आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण हैं-व्यावसायिक उद्यमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि मृतक अपने बचपन के चरण से ही व्यवसायों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल थे-घरेलू संपत्ति और कृषि भूमि से आय के तहत गणना मुख्य रूप से प्रबंधन क्षमता या दक्षता के नुकसान से उत्पन्न निर्भरता के नुकसान से संबंधित है-अन्य विचारों के साथ निर्धारित किए जाने वाले प्रबंधकीय कौशल का मूल्य-इसे देखते हुए, मुआवजे को संशोधित करके 7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 400 रुपये कर दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

238 ए.

239

के. रम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** क्षतिपूर्ति निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए।इसके अलावा, क्वांटम का निर्धारण एक तथ्य-निर्भर अभ्यास है जो उदार और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि क्षतिपूर्ति आर्थिक राहत का एक अधिक व्यापक रूप है जिसमें नुकसान के विपरीत एक व्यापक-आधारित दृष्टिकोण शामिल है।मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों को 'न्यायसंगत' मुआवजे का निर्धारण करने में उचित लचीलापन दिया गया है और वे नुकसान की गणना करने के लिए किसी भी कठोर अंकगणितीय नियमों या सख्त साक्ष्य मानकों से बाध्य नहीं हैं।**[**पैरा **11] [246-**ए-सी**]**

बी.

सी.

1.2 1988 का मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है जो किसी व्यक्ति की समकालीन स्थिति के अनुसार मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करता है जो अनिवार्य रूप से दूरदर्शी है।यातनापूर्ण दायित्व के विपरीत, जो मुख्य रूप से अतीत की भरपाई करने और एक दावेदार को उसके मूल पद पर बहाल करने से संबंधित है, अधिनियम के तहत मुआवजा भविष्य में लोगों के जीवन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने से संबंधित है।**[**पैरा **12] [246-**डी**]**

डी.

1.3 उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर अपास्त करना दिया कि अर्जित आय पूंजीगत परिसंपत्तियों से थी और यह नहीं कहा जा सकता कि यह मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित की गई थी।इसके परिणामस्वरूप मृतक की आय का निर्धारण उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार एक काल्पनिक आधार पर किया गया।दुर्भाग्य से, इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए ऐसा दृष्टिकोण गलत है, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि आयकर रिटर्न और ऑडिट

रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं।**[**पैरा **14] [247-**ए**-**सी**]**

ई.

एफ.

1.4 मुआवजे को संशोधित किया जाना चाहिए**,** विशेष रूप से जब न तो यह दिखाने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश किया गया है कि मृतक की आय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित राशि के विपरीत थी और न ही यह बीमा कंपनी द्वारा लिया गया रुख है कि उक्त रिपोर्ट ने आय को बढ़ा**-**चढ़ाकर पेश किया है।**[**पैरा **14] [247-**सी**]**

जी.

एच.

ए.

1.5 लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित आय को दो भागों में विभाजित करना उचित होगा**-(**ए**)** व्यावसायिक उद्यमों और अन्य निवेशों से आय और **(**बी**)** गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय। इसके अलावा**,** यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त दो भागों के तहत आय की गणना लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सकल मूल्य पर की गई है और इसमें ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज और मृतक द्वारा किए गए खर्च जैसी कटौती शामिल हैं।**[**पैरा **15] [247-**ए**-**सी**]**

बी.

1.6 केवल यह तथ्य कि इन व्यवसाय उद्यमों में स्वामित्व का मृतक का हिस्सा मृतक के नाबालिग बच्चों को उसकी मृत्यु से ठीक पहले या उसकी मृत्यु के बाद आश्रितों को हस्तांतरित कर दिया गया था**,** यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है कि इन व्यवसायों के लाभ उसके आश्रितों को प्राप्त होते रहते हैं।इसके विपरीत**,** यह रिकॉर्ड में आया है कि मृत व्यक्ति बचपन से ही इन व्यवसायों के दिन**-**प्रतिदिन के प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल था**,** उसने अपने व्यवसाय को प्रशासित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया था और ऑडिट रिपोर्ट में व्यवसायों से आय के मृतक के हिस्से को बड़े करीने से चित्रित किया गया था।इन तथ्यों के लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना जाए।इसी तरह**,** बैंक ब्याज और शेष निवेश से अर्जित राशि को भी आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।**[**पैरा **17] [248-**बी**-**डी**]**

सी.

डी.

ई.

1.7 गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय की गणना के लिए**,** निर्भरता का नुकसान मुख्य रूप से प्रबंधन क्षमता या दक्षता के नुकसान से होता है।विवेक के नियम के रूप में**,** किसी भी व्यक्ति के प्रबंधकीय कौशल की गणना कुल किराये की आय के **10** से **15** प्रतिशत के बीच होनी चाहिए**,** लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में स्वीकार्य सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए**,** उपयुक्त दृष्टिकोण किसी भी अन्य तथ्यात्मक विचारों के साथ**-**साथ प्रबंधकीय कौशल के मूल्य को निर्धारित करना है।**[**पैरा **21] [249-**एफ**-**जी**; 250-**ए**]**

एफ.

1.8 शेष राशि जो हमारे द्वारा काट ली गई है**,** उसमें वह कर शामिल है जिसे प्रणय सेठी के मामले में निर्णय के संदर्भ में काटा जाना है।**[**पैरा **23] [250-**ई**]** ए

जी.

एच.

241

के. रम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

अमृत भानु शाली बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड**, (2012)**

11 एससीसी 738:(2012) 5 एस. सी. आर. 207; कल्पनाराज बनाम तमिल

नाडु राज्य परिवहन निगम**, (2015) 2** एस**.** सी**.** सी**. 764:(2014)**

6 एससीआर **577;** सरला वर्मा बनाम डीटीसी **(2009) 5** एससीआर **1098;**

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी**, (2017) 16**

एससीसी 680:(2017) 13 एस. सी. आर. 100; यूनाइटेड बीमा

बी.

कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर**, (2021) 11** एससीसी **780**

– पर भरोसा किया।

रानी गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड**, (2009)**

13 एससीसी 498:(2009) 5 एस. सी. आर. 721; हेलेन सी. रिबेलो बनाम

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम **(1999)**

सी.

1 एससीसी 90:(1998) 1 पूरक।एस. सी. आर. 684; संयुक्त भारत

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन **(2002) 6**

एससीसी 281:(2002) 3 एस. सी. आर. 1176; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली (2005) 10 एस. सी. सी. 720:(2005) 2 एससीआर

1173; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव

(2008) 2 एससीसी 763:(2007) 13 एस. सी. आर. 352; यादव कुमार

डी.

v प्रभागीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड,

(2010) 10 एससीसी 341:(2010) 10 एस. सी. आर. 746; शशिकल बनाम गंगालक्ष्मी, (2015) 9 एस. सी. सी. 150:(2015) 5

एस**.** सी**.** आर**. 1;** हरियाणा राज्य बनाम जसबिर कौर **(2003) 7** एस**.** सी**.** सी**.**

484:(2003) 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 245-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

ई.

[2009] 5 एससीआर **721**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[1998] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 684** पैरा **11 [2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1176** पैरा **11 [2005] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1173** पैरा **11 [2007] 13** एस**.** सी**.** आर**. 352** पैरा **11 [2010] 10** एस**.** सी**.** आर**. 746** पैरा **11 [2015] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1**

एफ.

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

जी.

[2003] 2 पूरक।पैरा **21 [2017] 13** एस**.** सी**.** आर**. 100** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 245** पर भरोसा किया गया

पैरा **9**

एच.

242 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

ए.

[2012] 5 एससीआर **207**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

[2014] 6 एससीआर **577**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **14**

[2009] 5 एससीआर **1098**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **24**

(2021) 11 एससीसी **780**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **24**

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 7046।

सी. एम. ए. में मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से। 2013 का (एम. डी.) No.279।

राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव के. महारा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।हेतू अरोड़ा सेठी, राहुल जैन, एस. पी. जैन, सुश्री साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

सूर्या कान्ट**,** जे।

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. वर्तमान अपील मद्रास, मदुरै पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, तिरुचिरापल्ली (इसके बाद, "न्यायाधिकरण") द्वारा पारित किए गए फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1; इसके बाद, "बीमा कंपनी") द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई थी और अपीलार्थियों को दिए गए मुआवजे को 5 लाख रुपये से घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था। 4,29,37,700/- से रु। 57,90,000-अपेक्षित ब्याज के साथ।मुआवजे की मात्रा के निर्धारण के संबंध में कानून के मुद्दे पर विचार करने से पहले नीचे तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई है, जिसके लिए हमारे सामने निर्णय की आवश्यकता है।

ई.

एफ.

ए. एफ. एक्टस

3. एस. कुमारेशन (इसके बाद, "मृत") तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निवासी थे।दुर्भाग्यपूर्ण दिन, शाम को लगभग 4 बजे, वह पंजीकरण संख्या वाली लांसर कार में अकेले यात्रा कर रहे थे। टीएन 45 एस 9199 और पंजीकरण संख्या वाली एक राजदूत कार के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का सामना करना पड़ा। टीएन 59 ई 9288 सेठथुपट्टी और सोरियामपट्टी के बीच सड़क के हिस्से के साथ।टक्कर इतनी जोरदार थी कि ए से पहले ही दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई।

जी.

एच.

243

के. रम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

कोई भी चिकित्सा सहायता उन तक पहुँच सकती है।टक्कर में एकमात्र जीवित बचे लोग एंबेसडर कार के सवार थे, जो चमत्कारिक रूप से मौत से बच गए लेकिन कई चोटों से पीड़ित थे।

4. मृतक की आयु मृत्यु के समय 31 वर्ष से अधिक थी और वह एक आयकर निर्धारिती था।वे एक ऐसे व्यवसायी थे जिनकी आभूषण, वस्त्र, निर्यात और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विविध रुचि थी।इसके अलावा, उन्होंने अपनी कृषि भूमि से आय भी प्राप्त की और अचल संपत्ति को पट्टे पर दिया।उनके निधन के समय, वे अपने पीछे एक विधवा, दो नाबालिग बच्चे और माता-पिता छोड़ गए, जो उन पर निर्भर थे।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन आश्रितों में से मृतक के पिता का उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान निधन हो गया था।5. मृतक के आश्रितों ने रुपये के लिए दावा याचिका दायर की। 7,00,00,000/- अगस्त 2004 में, अन्य बातों के साथ-साथ,

यह आरोप लगाते हुए कि 10.06.2004 की उपर्युक्त दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, जो बीमा कंपनी द्वारा बीमा की गई एंबेसडर कार के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी।न्यायाधिकरण के समक्ष, बीमा कंपनी ने यह रुख अपनाया कि मृतक वही था जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था और मृतक द्वारा मांगा गया मुआवजा अत्यधिक था।यह ध्यान देने योग्य है कि दुर्घटना में जीवित बचे राजदूत कार के घायल सवारों ने भी अपनी-अपनी दावा याचिकाएं दायर कीं।

बी.

सी.

डी.

ई.

6. अपने फैसले तक पहुँचने में, न्यायाधिकरण ने उपरोक्त घायल सवारों के बयानों पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह एम्बेसेडर कार का चालक था जो दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था और इसलिए उसे दुर्घटना का दायित्व सौंपा गया, जिसे अंततः बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाना था।नतीजतन, मृतक के आश्रितों की दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई, और प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 700/- रुपये का मुआवजा दिया गया।न्यायाधिकरण ने मृतक के आयकर विवरणी और अन्य वित्तीय दस्तावेजों पर भरोसा किया, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट, ऑडिटर और मृतक की पत्नी (अपीलकर्ता संख्या 1) की गवाही द्वारा समर्थित थे।

एफ.

जी.

7. पीड़ित बीमा कंपनी ने अपनी अपील दायर की जिसका निर्णय दिनांक 30.06.2017 के विवादित फैसले के माध्यम से किया गया था।हालांकि उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के इस तर्क से पूरी तरह सहमत था कि दुर्घटना के लिए केवल राजदूत कार चालक ही उत्तरदायी था, लेकिन मुआवजे की गणना के संबंध में न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण से असहमत था, जो मुख्य रूप से 'आय की हानि' के शीर्ष के तहत था।यह.

एच.

इस बात पर जोर दिया कि मृतक ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ साझेदारी फर्मों में अपनी रुचि अपने नाबालिग बच्चों के पक्ष में स्थानांतरित कर दी थी।इसके अलावा, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि मृतक की लगभग सभी आय में वह रिटर्न शामिल था जो उसे अपनी पूंजीगत संपत्ति पर प्राप्त हुआ था।उनकी मृत्यु के बाद भी, वही संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई, जो उनसे प्राप्त लाभों का आनंद लेते रहे।विवादित फैसले का तर्क इस आधार पर निहित था कि पूंजीगत परिसंपत्तियों से प्राप्त आय को मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित आय नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके द्वारा कोई वास्तविक योगदान नहीं था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक के आश्रितों को आय का कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके बजाय उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार काल्पनिक आधार पर उनका वेतन 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित करके मुआवजे की गणना की।इसके अलावा, इसने अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत भी मामूली बदलाव किए और तदनुसार, मुआवजे को घटाकर 7.5% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ 57,90,000 कर दिया गया।

बी.

सी.

B. सामग्री

डी.

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने मुआवजे का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी के दायित्व से संबंधित निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया है। एकमात्र सीमित प्रश्न जो वर्तमान कार्यवाहियों में हमारे सामने विवादित बना हुआ है, वह अपीलार्थियों को दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा से संबंधित है।

ई.

9. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन ने तर्क दिया कि-सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के माध्यम से इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थियों ने मृतक द्वारा अर्जित आय का पता लगाने के लिए विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, अनुमानित आय के आधार पर मुआवजे की गणना करके गलती की है।उन्होंने दृढ़ता से कहा कि न्यायाधिकरण ने 'आय की हानि' के शीर्ष के तहत राशि की गणना करने के लिए आयकर रिटर्न और मृतक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सही भरोसा किया और कहा कि प्रासंगिक गवाही उसी का समर्थन करती है; दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि मृतक कई व्यवसाय चलाने में सक्रिय रूप से शामिल था और यहां तक कि सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी शुरू किए।इसलिए, उच्च न्यायालय ने अन्यायपूर्ण निष्कर्ष निकाला है कि मृतक ने अपने व्यक्तिगत कौशल से कोई आय अर्जित नहीं की है; तीसरा, यह तर्क दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की आय की गणना करते समय एकमात्र कटौती की अनुमति ए द्वारा देय कर है।

एफ.

जी.

एच.

245

के. रम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

राष्ट्रीय संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी।1 ; अंत में उन्होंने कहा कि

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के तहत मुआवजे की गणना (इसके बाद, "अधिनियम") 'न्यायसंगत' होनी चाहिए और यह प्रणय सेठी के निर्णय के अनुसार 'निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता' के मानक से सह-संबंधित होनी चाहिए।2

बी.

10. इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे को सही ढंग से कम कर दिया है कि आयकर विवरणी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि मृतक की आय अनिवार्य रूप से उसकी पूंजीगत संपत्तियों से प्राप्त विवरणी से बनी है जो मृतक के आश्रितों को विधिवत वसीयत की गई है।यह तर्क दिया गया था कि आय का नुकसान केवल उस हिस्से के बराबर होना चाहिए जो मृतक के कौशल के अनुरूप हो, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में अपीलार्थियों को आय का कोई नुकसान नहीं हुआ है।उच्च न्यायालय ने 'आय की हानि' के शीर्ष के तहत मुआवजे के निर्धारण के आधार के रूप में काल्पनिक आय को उचित रूप से लिया है।विद्वान अधिवक्ता ने इस निर्णय पर काफी भरोसा रखा है।

सी.

डी.

रानी गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड **3** मामले में न्यायालय आगे बढ़ेगी

यह तर्क कि व्यवसाय में लोगों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में, आय के नुकसान का वास्तविक निर्धारण व्यवसाय चलाने में मृतक के योगदान का पता लगाने पर निर्भर करता है और यह एक तथ्यात्मक जांच है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भिन्न होती है।

ई.

सी**.** विश्लेषण

सी**. 1** एक सामाजिक कल्याण राज्य के तहत **'**न्याय**'** प्रतिस्पर्धा का निर्धारण

एफ.

11. शुरुआत में, अधिनियम की धारा 168 के तहत 'न्यायसंगत' मुआवजे की अवधारणा को दोहराना उचित है। यह एक तय प्रस्ताव है, अब निर्णयों के एक समूह के माध्यम से 4 जिसमें प्रणय सेठी 5 में संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव भी शामिल है कि मुआवजा उचित होना चाहिए।

1 राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एस. सी. सी. 680, पैरा 59.3।

2 आईबीआईडी, पैरा 55।

जी.

3 रानी गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड (2009) 13 एस. सी. सी. 498, पैरा 24। 4 हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम

(1999) 1 एस. सी. सी. 90; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन (2002) 6 एस. सी. सी. 281; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली (2005) 10 एस. सी. सी. 720; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव

(2008) 2 एससीसी 763।

5 प्रणय सेठी (एन 1), पैरा 55।

एच.

उचित और न्यायसंगत।इसके अलावा, मात्रा का निर्धारण एक तथ्य-निर्भर अभ्यास है जो उदार होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि क्षतिपूर्ति आर्थिक राहत का एक अधिक व्यापक रूप है जिसमें यादव कुमार बनाम संभागीय मामले में इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित नुकसान के विपरीत एक व्यापक-आधारित दृष्टिकोण शामिल है।

प्रबंधक**,** राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड **6.**में हुई चर्चा

बी.

उपर्युक्त मामले इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों को 'न्यायसंगत' मुआवजे का निर्धारण करने में उचित लचीलापन दिया गया है और वे नुकसान के मामले के विपरीत नुकसान की गणना करने के लिए किसी भी कठोर अंकगणितीय नियमों या

सख्त साक्ष्य मानकों से बाध्य नहीं हैं।इसलिए, अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति आम तौर पर केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुआवजा 'अत्यधिक' या 'मनमाना' हो।

सी.

12. इसके अलावा, 1988 का मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है जो किसी व्यक्ति की समकालीन स्थिति के अनुसार मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करता है जो अनिवार्य रूप से दूरदर्शी है।8 यातनापूर्ण दायित्व के विपरीत, जो मुख्य रूप से अतीत की भरपाई करने और एक दावेदार को उसके मूल पद पर बहाल करने से संबंधित है, अधिनियम के तहत मुआवजा भविष्य में लोगों के जीवन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने से संबंधित है।9 उपर्युक्त सिद्धांतों को पृष्ठभूमि में रखते हुए, अब हम तथ्यों की ओर बढ़ते हैं।

डी.

सी**. 2** आय कर वापसी पर विश्वसनीयता और 'आय का नुकसान' निर्धारित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट

ई.

13. वर्तमान मामले में मृत व्यक्ति एक व्यापारी था और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थियोंओं ने मृतक की आकस्मिक मृत्यु के कारण होने वाले आय के नुकसान को साबित करने के लिए उसके वाणिज्यिक उद्यमों से संबंधित प्रासंगिक आयकर विवरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए।न्यायाधिकरण ने उसी पर भरोसा किया और 'आय की हानि' के शीर्ष के तहत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए तीन पूर्व वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2000-2001, वित्त वर्ष 2001-2002 और वित्त वर्ष 2002-2003) में दर्ज आय का औसत लेकर आय की गणना की।

एफ.

जी.

6 यादव कुमार बनाम मंडल प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2010) 10 एससीसी

341, पैरा 17.

7 निंगम्मा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2009) 13 एस. सी. सी. 710, पैरा 34।

8 पीटर केन, अतियाह की दुर्घटनाएँ, क्षतिपूर्ति और कानून (7 वीं संस्करण, कैम्ब्रिज)

यूनिवर्सिटी प्रेस 2006) 411-412। 9 आईबीआईडी।

एच.

ए.

14. इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर अपास्त करना दिया कि अर्जित आय पूंजीगत परिसंपत्तियों से थी और यह नहीं कहा जा सकता कि यह मृतक के व्यक्तिगत कौशल से अर्जित की गई थी।इसके परिणामस्वरूप मृतक की आय का निर्धारण उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार एक काल्पनिक आधार पर किया गया।दुर्भाग्य से, इस तरह का दृष्टिकोण, हमारी राय में, अमृत भानू मामले में इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए गलत है

बी.

शाली बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड **10** और कल्पनाराज बनाम तमिलनाडु

राज्य परिवहन निगम।11 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आयकर विवरणी और लेखापरीक्षा विवरण जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य हैं।इसलिए, हम मुआवजे को संशोधित करने के लिए बाध्य हैं, विशेष रूप से जब न तो यह दिखाने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश किया गया है कि मृतक की आय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित राशि के विपरीत थी और न ही यह बीमा कंपनी द्वारा लिया गया रुख है कि उक्त रिपोर्ट ने आय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।15. इस स्तर पर, हमारे विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित आय को दो भागों में विभाजित करना उचित होगा-(ए) व्यावसायिक उद्यमों और अन्य निवेशों से आय और (बी) गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय।इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि ये लेखापरीक्षा रिपोर्ट केवल उन राशियों को प्रदर्शित करती हैं जो विशेष रूप से व्यवसायों में मृतक द्वारा रखे गए शेयरों और ब्याज से उत्पन्न होती हैं और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें व्यवसायों के पूरे कारोबार को मृतक की आय के रूप में दर्शाया जाता है।इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त दो भागों के तहत आय की गणना लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सकल मूल्य पर की गई है और इसमें ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज और मृतक द्वारा किए गए खर्च जैसी कटौती शामिल हैं।

सी.

डी.

ई.

C. 2-व्यावसायिक उद्यमों और अन्य निवेशों से आय का उपचार

एफ.

16. लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, इस भाग के तहत आय मृतक के कई व्यावसायिक उद्यमों से अर्जित राशि के लिए जिम्मेदार थी, जिसमें साझेदारी फर्म और अन्य निवेश जैसे शेयर और बैंक हित शामिल थे।अभिलेख पर दस्तावेजों के अवलोकन पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लगभग सभी व्यावसायिक उद्यम मृतक द्वारा की गई पहलों का परिणाम

थे, और वह इन संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल थे।वास्तव में, मृतक की पत्नी की गवाही बताती है कि अपीलार्थियों

जी.

10 अमृत भानु शाली बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2012) 11 एस. सी. सी. 738, पैरा 17। 11 कल्पनाराज बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम।(2015) 2 एस. सी. सी. 764, पैरा 8.

एच.

परिवहन व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली बसों को बेचना पड़ा क्योंकि वे मृतक की मृत्यु के कारण वाहनों की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे और यहां तक कि निर्यात व्यवसाय भी इसी कारण से बंद हो गया था।

17. केवल यह तथ्य कि इन व्यवसाय उद्यमों में स्वामित्व का मृतक का हिस्सा मृतक के नाबालिग बच्चों को उसकी मृत्यु से ठीक पहले या उसकी मृत्यु के बाद आश्रितों को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है कि इन व्यवसायों के लाभ उसके आश्रितों को प्राप्त होते रहते हैं।इसके विपरीत, यह रिकॉर्ड में आया है कि मृत व्यक्ति बचपन से ही इन व्यवसायों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल था, उसने अपने व्यवसाय को प्रशासित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया था और ऑडिट रिपोर्ट में व्यवसायों से आय के मृतक के हिस्से को बड़े करीने से चित्रित किया गया था।इन तथ्यों के लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यमों से पूरी राशि को आय के रूप में माना जाए।इसी तरह, बैंक ब्याज और शेष निवेश से अर्जित राशि को भी आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

18. अपीलार्थियोंओं ने पिछले चार वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो 'व्यावसायिक उद्यमों और अन्य निवेशों से आय' के तहत राशि को उजागर करती है जो निम्नानुसार है-(i) वित्त वर्ष के लिए 2000-2001 रु। 8,95,812-(ii) वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए रु। 10,31,091-(iii) वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए रु। 14,65,060- और (iv) वित्त वर्ष 2003-2004 के लिए रु। 9,79,099-।इन राशियों का औसत रुपये तक आता है। 10, 92, 765.50-, जिसे कुल मिलाकर ₹ 10,93,000 किया जाता है-

और यह अपीलार्थियों को 'व्यावसायिक उद्यमों और अन्य निवेशों से आय' के तहत प्राप्त आय के नुकसान के रूप में प्रदान किया जाता है।

ई.

C. 2.2-गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय का उपचार

एफ.

19. लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, मृतक अपनी सारी किराये की आय 'लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स' नामक एक वाणिज्यिक भवन में अपने हिस्से से निकालता था और शेष आय उसकी कृषि भूमि से होती थी, जो उसकी मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में दी गई थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट 'गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय' के तहत निम्नलिखित राशि का संकेत देती है-(i) वित्त वर्ष के लिए 2000-2001 रु। 6,90,396-(ii) वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए रु। 6,47,127-(iii) वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए रु। 6,14,329-और (iv) वित्त वर्ष 2003-2004 के लिए रु। 4,78,240-।इन राशियों का औसत रुपये तक आता है। 6,07,523-।

जी.

एच.

249

के. रम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

20. इस मोड़ पर, हमें शशिकल बनाम गंगालक्ष्मी 12 के फैसले पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय ने अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय घर की संपत्ति से अर्जित पूरी राशि की कटौती की थी। शशिकल 13 में निर्णय एक विभाजित निर्णय था क्योंकि पीठ के बीच इस बात पर असहमति थी कि क्या मुआवजे देने के लिए भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना है जब मृतक एक स्व-नियोजित व्यक्ति है।तदनुसार, इस मामले को प्रणय सेठी 14 के साथ जोड़ा गया और सुना गया, जिसमें इस न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के संबंध में उपर्युक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से निर्णय लिया था।उसके बाद, मामले को मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए तीन-न्यायाधीशों की पीठ को वापस भेज दिया गया, जिसमें इस न्यायालय ने घर की संपत्ति से आय के रूप में अर्जित पूरी राशि को फिर से काट लिया।15

बी.

सी.

21. अब, इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि 'गृह संपत्ति और कृषि भूमि से आय' के तहत पूरी राशि की कटौती की जानी चाहिए या नहीं।इस संबंध में, हम द्वारा निर्देशित हैं

हरियाणा राज्य बनाम जसबिर कौर **16** में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ जिसमें

यह नोट किया गया था कि -

डी.

8. x-x-x-x

मृतक के कब्जे वाली भूमि अभी भी उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास है।हालांकि इस बात की संभावना है कि दावेदारों को कृषि की देखभाल के लिए व्यक्तियों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है।इसलिए**,** आय से वंचित होने के बारे में सामान्य नियम उन मामलों में सख्ती से लागू नहीं होता है जहां कृषि आय स्रोत है।परिचर परिस्थितियों पर विचार करना होगा।

ई.

(जोर लागू) हमारी राय में, उपरोक्त टिप्पणियां, हालांकि कृषि भूमि के संदर्भ में की गई हैं, पट्टे पर दी गई संपत्तियों से प्राप्त किराए पर भी लागू होंगी क्योंकि निर्भरता का नुकसान मुख्य रूप से प्रबंधन क्षमता या दक्षता के नुकसान से होता है।विवेक के नियम के रूप में, किसी भी व्यक्ति के प्रबंधकीय कौशल की गणना कुल किराये की आय के 10 से 15 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में स्वीकार्य सीमा को बढ़ाया जा सकता है।उचित दृष्टिकोण,

एफ.

जी.

12 शशिकल बनाम गंगालक्ष्मी (2015) 9 एस. सी. सी. 150।

13 आइबीआइडी।

14 प्रणय सेठी (एन 1)।

15 शशिकल बनाम गंगालक्ष्मी (2015 की सिविल अपील संख्या 2836,14 फरवरी 2019)।

एच.

16 हरियाणा राज्य बनाम जसबीर कौर (2003) 7 एस. सी. सी. 484।

इसलिए, किसी भी अन्य तथ्यात्मक विचार के साथ-साथ प्रबंधकीय कौशल के मूल्य को निर्धारित करना है।

22. तत्काल मामले में, अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज 'लक्ष्मी परिसर' के संबंध में दो मुख्य पहलुओं का संकेत देते हैं, जो मृतक के लिए किराये की आय का एकमात्र स्रोत था।जिस भूमि पर वाणिज्यिक भवन स्थित है, उससे संबंधित विभाजन विलेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस भवन का निर्माण मृतक और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए संयुक्त निवेश के कारण किया गया था।इसके अलावा, किराये के रिकॉर्ड के अनुसार, 'लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स' को दस से अधिक अलग-अलग वाणिज्यिक संस्थाओं को पट्टे पर दिया गया था।इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि-पहला, किराये की राशि जो कटौती की जानी चाहिए, वह निवेश की प्रकृति को दर्शाती है; और दूसरा, कि उक्त भवन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कौशल के लिए परिष्कृत अनुबंध प्रबंधन कौशल और व्यापारिक समुदाय के बीच सद्भावना की आवश्यकता होगी, यह आवश्यक है कि हम उच्च पक्ष पर मृत लोगों के प्रबंधकीय कौशल का मूल्य निर्धारित करें।

बी.

सी.

23. तदनुसार, हम मृतक के प्रबंधकीय कौशल के लिए राशि के रूप में रुपये 2,50,000 का पुरस्कार देना उचित समझते हैं।यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि में मृतक की कृषि भूमि के संबंध में प्रबंधकीय कौशल के लिए राशि भी शामिल होगी।यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि हमारे द्वारा कटौती की गई शेष राशि में वह कर शामिल है जिसे प्रणय सेठी 17 में निर्णय के संदर्भ में काटा जाना है।

डी.

ई.

D. निष्कर्ष

24. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मृतक की आय की गणना दो भागों (रुपये 10,93,000-+ रुपये 2,50,000-) के तहत दी गई राशि को जोड़कर की जाती है, जो रुपये 13,43,000- आती है।प्रणय सेठी 18 के संदर्भ में, आय का चालीस प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाना है, जो रुपये 18,80,200-पर आएगा।सरला वर्मा 19 के अनुसार व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक-चौथाई कटौती करने के बाद, शुद्ध राशि 14,10,150-प्रति वर्ष आती है।16 के गुणक को लागू करते हुए, मृतक की आय के कारण निर्भरता के कुल नुकसान की गणना 2,25,62,400/- रुपये की जाती है।हम आगे प्रणय सेठी 20 के निर्णयों के अनुसार शेष पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजा प्रदान करते हैं।

एफ.

जी.

और सतिंदर कौर 21.

17 प्रणय सेठी (संख्या 1), पैरा 59.3।18 प्रणय सेठी (संख्या 1), पैरा 59.3।

19 सरला वर्मा बनाम डीटीसी (2009) 6 एससीसी 121।

20 प्रणय सेठी (संख्या 1), पैरा 59.8।

21 यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर (2021) 11 एस. सी. सी. 780, पैरा (ओं) 33-37।

एच.

251

के. रम्या बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।]

ए.

25. अतः क्षतिपूर्ति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है -

बी.

सी.

डी.

26. हम यह भी निर्देश देते हैं कि दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक उपरोक्त राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।बढ़ी हुई राशि का भुगतान आज से तीन महीने के भीतर दावेदारों को कर दिया जाएगा।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहले से ही भुगतान या जमा की गई राशि को इस न्यायालय द्वारा दिए गए बढ़े हुए मुआवजे को जमा करते समय समायोजित किया जाएगा।

ई.

27. इसलिए, उच्च न्यायालय की अपील के तहत निर्णय को अपास्त करना दिया जाता है और अपीलार्थियों को ऊपर निर्धारित किए गए बढ़े हुए मुआवजे का हकदार माना जाता है।

28. उपरोक्त शर्तों में किसी भी लंबित आवेदन के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

एफ.

निधि जैन और अनुराग भास्कर

अपील का निपटारा किया गया।

जी.

एच.